प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 29 अक्टूबर 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत जनपद लखनऊ में उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1146/71-2-15-के0एस0-01/2014 दिनांक 31 मार्च, 2015 द्वारा जनपद लखनऊ में उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान की स्थापना हेतु अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत रू0 6,54,88,500/- (छ करोड चौवन लाख अठ्ठासी हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि स्वीकृत की गयी। उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद लखनऊ में उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान की स्थापना/निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि कुल रू0 10,60,50,000/- (रूपया दस करोड साठ लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार/नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
3) अनुदान संख्या-83 से स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
4) प्रायोजना हेतु निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 31.03.2015 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी सक्षम प्राधिकारी एवं कार्यदायी संस्था की होगी। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-3-2015 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा भवन निर्माण सम्बन्धी वित्तीय नियमों/परिनियमों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
7) निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान द्वारा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- धनराशि को कोषागार से महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-24-कैन्सर संस्थान, लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य''के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 एवं समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26/ब0प्र0-2015 दिनांक 27 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

संख्या-87/2015/3962(1)/71-2-15-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3) जिलाधिकारी, लखनऊ।
4) मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5) वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/ समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ/ कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ)।
7) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
8) महाप्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 रा0नि0नि0लि0, लखनऊ।
9) स्पीड पोस्ट- मै0 मुकेश एण्ड एसोसिएटेड डिवीजन-2, 2/6 रंगनाथर एवेन्यू, पेरूमा मलाई मेन रोड, नारासाथीपट्टी, सलीम- 636006 (तमिलनाडू)
10) स्पीड पोस्ट- मै0 आर्कोम, सी 28, सेक्टर-8, नोएडा-201301
11) मेसर्स शापूरजी पालोनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 रा0नि0नि0लि0, लखनऊ।
12) गार्डबुक।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।